

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 03-03-2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 03-03-2023 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- 1- जिलाधिकारी, एटा - अध्यक्ष।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, एटा - सदस्य।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, एटा - सदस्य सचिव।
- 4- सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, एटा।
- 5- प्रतिनिधि मै० ऑयन एक्स्चेंज, नवी मुम्बई।
- 6- प्रतिनिधि मै० जे०एम०सी०।
- 7- प्रतिनिधि मै० पावरमैक।

श्री डी.के.सिंह अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा 29 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु फर्म ऑयन एक्स्चेंज इण्डिया लि० जिनमें 29 नग रेट्रोफिटिंग/गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में मैसर्स ऑयन एक्स्चेंज इण्डिया लि० द्वारा 2 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० अधिशासी अभियन्ता, निर्माण

खण्ड, उ०प्र० निगम (ग्रामीण), एटा को उपलब्ध कराई गई। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 2 नग डी०पी०आर० की जांच कर उपयुक्त पाई गई 2 नग डी०पी०आर० को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 14-02-2023 में प्रस्तुत किया गया एवं 01 नग डी.पी.आर. जो 5.00 करोड़ की लागत से अधिक है, को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जानी है। डी०पी०आर० विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- 1- Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
- 2- नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
- 3- अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
- 4- सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग भवनते 675 लिया जाये।
- 5- वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम०एम० रखा जाये एवं 200 एम०एम० व्यास तक एच०डी०पी०इ० पाइप एवं 200 एम०एम० व्यास से अधिक हेतु डी०आई० पाइप का प्रयोग किया जाये।
- 6- वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी० रखा जाये।
- 7- वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।
- 8- ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैंड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।
- 9- एक फायर हाइड्रेंट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेंट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।
- 10- पम्प हाउस का साइज 10 बी०एच०पी० तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी०एच०पी० से 40.0 बी०एच०पी० तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।
- 11- वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊंचाई 1.20 मी० रखी जाये एवं 3.6 मी० चौड़ाई का मेन गेट एवं 1.20 मी० चौड़ाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० में ली गई कार्यों की दर SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की ₹० 8000.00 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अर्ह पाई गई 20 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2052 हेतु औसतन ₹० 8000 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी०पी०आर० की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई एवं जाँच में पाई गई कमियों का निराकरण कराते हुए समस्त डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेषित समस्त डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2023)	Population Details 2023	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakhs)	Per Capita cost Design Year 2052
1	Jalesar	Shakrauli	1	1622	11141	891.97	4496
2	Shitalpur	Pooth	1	190	1049	94.11	4817
SUB-TOTAL (LOT-09)							

उपरोक्तानुसार ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा प्रस्तुत 02 नग डी०पी०आर० में से 01 नग डी०पी०आर० की लागत रु० 5.00 करोड़ से कम है तथा 01 नग डी०पी०आर० की लागत रु० 5.00 करोड़ से अधिक है, जिला परियोजना निगरानी इकाई, एटा एवं मेसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा संयुक्त परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट अभ्युक्ति दी गयी कि जनसंख्या कम होने, के पुरवों के बीच की दूरी अधिक होने के कारण पाइप लाइन की लम्बाई अधिक होने तथा आवंटित भूमि ग्राम सभा के निकट न उपलब्ध होने के कारण प्रति व्यक्ति कार्य लागत लगभग रु० 4400.00 से अधिक आया है। प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय पत्र संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019, दिनांक: 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु० 5.0 करोड़ तक लागत की डी०पी०आर० का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक: 03/03/2023 में उक्त 1 नग डी०पी०आर० की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये 02 नग डी०पी०आर० को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया


अधिशाली अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल
निगम (ग्रामीण), एटा।
(सदस्य सचिव)


मुख्य विकास अधिकारी,
एटा
(सदस्य)


03/3/23
जिलाधिकारी

"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति (अध्यक्ष) एटा